मा॰ मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में सम्पन्न शासी निकाय की तृतीय बैठक के कार्यवृत्त

दिनांक 03 जुलाई, 2017 को मा॰ मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा की अध्यक्षता में उत्तराखण्ड कैम्पा की शासी निकाय की तृतीय बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्यगण/प्रतिनिधि उपस्थित रहे :–

1. डॉ0 हरक सिंह रावत, मा0 मंत्री, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन एवं उपाध्यक्ष–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा।
2. श्री प्रकाश पंत, मा0 मंत्री, वित्त, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा।
3. श्री एस0 रामास्वामी, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन/वन एवं अवस्थापना विकास आयुक्त एवं सदस्य–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा।
4. श्री अमित नेगी, सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन (प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा)।
5. श्री बी0एस0 मनराल, अपर सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन (प्रतिनिधि–प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा)।
6. श्री राजेन्द्र कुमार, प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा।
7. श्री अशोक पै, प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत एवं सदस्य–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा।
8. श्री डी0बी0एस0 खाती, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा।
9. श्री समीर सिन्हा, अपर प्रमुख वन संरक्षक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा एवं सदस्य–सचिव, शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा।

उत्तराखण्ड कैम्पा की शासी निकाय में उक्त के अतिरिक्त मा0 नियोजन मंत्री, उत्तराखण्ड शासन भी सदस्य हैं। वर्तमान में नियोजन मंत्रालय का प्रभार मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड के मार्गदर्शन में है।

मा0 वन एवं पर्यावरण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन एवं उपाध्यक्ष–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हुए स्थापना से वर्तमान तक उत्तराखण्ड कैम्पा का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य–सचिव, शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा की शासी निकाय के अध्यक्ष मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड

शासन एवं अन्य समस्त सम्मानित सदस्यगणों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ करने की अनुमति लेते हुए निम्नानुसार एजेण्डावार कार्यवाही की गई –

कार्यसूची शासी निकाय–3.1 उत्तराखण्ड कैम्पा का संक्षिप्त विवरण एवं विगत वर्षों की उपलब्धिः–

सर्वप्रथम मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं सदस्य सचिव, शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा वर्ष 2014–15 एवं 2015–16 की प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट सदस्यगणों के समक्ष प्रस्तुत की। साथ ही अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा की वर्तमान तक समस्त वार्षिक रिपोर्टों का प्रकाशन पूर्ण कर लिया गया है जिन्हें उत्तराखण्ड कैम्पा की वेबसाइट www.ukcampa.org.in पर भी अपलोड कर दिया गया है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा उत्तराखण्ड कैम्पा का विस्तृत विवरण करते हुए प्रस्तुतिकरण के माध्यम से मा0 सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा की स्थापना से वर्तमान तक एडहॉक कैम्पा, भारत सरकार से ₹ 757.38 करोड़ की कुल धनराशि प्राप्त हुई है एवं जिसके सापेक्ष ₹ 588.21 करोड़ की धनराशि व्यय की गई है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि एडहॉक कैम्पा भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष गत वर्ष के अंत में एडहॉक कैम्पा में जमा राज्यांश की धनराशि का 10% राज्य कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना के लिए अवमुक्त किया जाता है। दिनांक 31 मार्च 2017 को एडहॉक कैम्पा, भारत सरकार के स्तर पर, उत्तराखण्ड राज्य का कुल जमा अंश लगभग ₹ 1923.56 करोड है जिसका राज्यांश 90% अर्थात् लगभग ₹ 1750 करोड़ है। उक्त के 10% अर्थात ₹ 175.00 करोड़ की धनराशि की वर्ष 2017–18 हेतु वार्षिक कार्ययोजना विभिन्न घटकों के अंतर्गत, भारत सरकार की गाइडलाइन्स एवं समय–समय पर प्रदत्त दिशा–निर्देशों के अनुरूप निम्नानुसार प्रस्तावित की जा रही हैः–

- **वचनबद्ध गतिविधियों हेतु ₹ 90.00 करोड़** (क्षतिपूरक वनीकरण, जलागम क्षेत्र उपचार एवं "अन्य" विशिष्ट कार्य)
- **एन0पी0वी0 की कोर गतिविधियों हेतु ₹ 68.00 करोड़** (ए0एन0आर0, स्थल विशिष्ट के अतिरिक्त वृक्षारोपण, सिल्वीकल्चर ऑपरेशन, वनाग्नि सुरक्षा एवं नियंत्रण, वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास स्थलों का सुधार, संवेदनशील वन्यजीवों कॉरीडोर क्षेत्र में गैर वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं पुनर्जनन, वन्यजीव रेस्क्यू सेंटरों की स्थापना, संचालन एवं अनुरक्षण एवं वन्यजीवों का उपचार, वन पंचायतों का सुदृढ़ीकरण, वर्षा जल संग्रहण इत्यादि) एवं
- **एन0पी0वी0 के अंतर्गत अन्य गतिविधियों हेतु ₹ 17.00 करोड़** (वनाग्नि सुरक्षा उपकरण, सूचना प्रौद्योगिकी, वन मार्गों का सुदृढ़िकरण, वन रंक्षक चौकी निर्माण एवं रखरखाव, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन इत्यादि)

सदस्यगणों को उत्तराखण्ड कैम्पा की वचनबद्ध गतिविधियों में महत्वपूर्ण गतिविधि क्षतिपूरक वनीकरण की वर्षवार प्रगति से अवगत कराया गया जिसमें उत्तराखण्ड कैम्पा की स्थापना से वर्ष 2016–17 तक क्षतिपूरक वनीकरण के अंतर्गत विभिन्न वन प्रभागों को कुल आवंटित 14311.64 हे0 क्षेत्र के भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष 12923.43 हे0 की प्राप्ति एवं ₹ 124.05 करोड़ की आवंटित धनराशि के सापेक्ष ₹ 95.06 करोड़ की वित्तीय प्रगति से भी अवगत कराया गया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा भारत सरकार द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण के लगभग 13000 हे0 के बैकलॉग को आगामी 3 वर्षों में पूर्ण किए जाने के उद्देश्य से कियान्वयन अभिकरणों को दिए गए लक्ष्यों एवं इनकी शत्–प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित किए जाने के दृष्टिगत संबंधित वन प्रभागों को दिए गए निर्देशों के संबंध में भी सदस्यों को अवगत कराया गया।

अध्यक्ष, शासी निकाय द्वारा क्षतिपूरक वनीकरण के लक्ष्यों को उक्तानुसार तीन वर्षों में अनिवार्य रूप से पूर्ण किए जाने के दृष्टिगत इस पर विशेष रूप से ध्यान दिए जाने एवं लक्ष्यों को समयांतर्गत पूर्ण किए जाने के संबंध में निर्देशित किया गया।

(कार्यवाहीः उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति एवं कार्यकारी समिति)

<u>बिन्दु संख्या</u> –3.2 : <u>क्षतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम (CAF Act) 2016 एक दृष्टि में।</u>

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 3 अगस्त 2016 को Compensatory Afforestation Fund (CAF) Act 2016 की अधिसूचना जारी की जा चुकी है। वर्तमान में भारत सरकार के स्तर पर मार्गनिर्देशिका बनाए जाने का कार्य प्रगति पर है। इस हेतु भारत सरकार एवं राज्यों के प्रतिनिधियों के मध्य अनेक बैठकों का आयोजन किया जा चुका है जिसमें राज्यों के स्तर से भी सुझाव लिए गए हैं। कैम्पा अधिनियम 2016 के मुख्य बिन्दु निम्न प्रकार हैंः–

- CAF ACT, 2016 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार भारतीय संघ की लोक लेखा के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं राज्यों के स्तर पर एक Non-lapsable, Interest Bearing Fund की स्थापना की जाएगी एवं इसके उपयोग एवं प्रबंधन हेतु राष्ट्रीय /राज्य प्राधिकरण का गठन किया जाएगा।
- CAF ACT, 2016 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित संचालन समिति द्वारा संस्तुति के उपरांत वार्षिक कार्ययोजना को राष्ट्रीय कैम्पा प्राधिकरण, भारत सरकार की कार्यकारी समिति को प्रेषित किया जाएगा जिसे राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा मानकों के आधार पर आवश्यक संशोधन करते हुए, जमा करने की तिथि से 3 माह के भीतर अनुमोदित किया जाएगा।
- एड–हॉक कैम्पा द्वारा राज्य कैम्पा को एड–हॉक कैम्पा के पास राज्य की वर्तमान में कुल जमा धनराशि को ब्याज सहित राष्ट्रीय निधि एवं इसके पश्चात् संबंधित राज्य को 90 प्रतिशत कैम्पा निधि की धनराशि का आवंटन किया जाएगा तथा

शेष 10% की धनराशि राष्ट्रीय कैम्पा के पास मूल्यांकन, अनुश्रवण एवं अन्य प्रयोजनों हेतु रहेगी। CAF ACT, 2016 लागू होने के पश्चात नये वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा जमा कराई जाने वाली कुल धनराशि का 90% राज्य कैम्पा एवं 10% राष्ट्रीय कैम्पा में सीधा जमा कराया जाएगा।

उत्तराखण्ड राज्य में CAF Act 2016 के अनुसार कैम्पा प्राधिकरण के अंतर्गत निम्न समितियों का गठन किया जाएगा

- मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में शासी निकाय।
- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में संचालन समिति।
- प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति।

CAF Act 2016 के उपरोक्त बिन्दुओं के अतिरिक्त Act में उल्लिखित अन्य प्राविधानों के संबंध में भी सदस्यगणों को अवगत कराया गया। मा0 मुख्यमंत्रीजी द्वारा Act में उल्लिखित प्राविधानों का समुचित रूप से पालन सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया गया।

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा सदस्यगणों को **क्षतिपूरक वनीकरण निधि नियमावली का प्रारूप** (Draft CAF Rules) **2017** के प्राविधानों के सम्बन्ध में भी अवगत कराया गया।

Draft Rules में प्रस्तावित प्राविधानों पर हुई विस्तृत चर्चा उपरांत उत्तराखण्ड की विषम परिस्थितियों को देखते हुए इसमें संशोधन की आवश्यकता जताई गई। इस पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि Draft Rule के प्राविधानों के संबंध में राज्य की अनुकूलता के अनुसार कुछ बिन्दुओं को भारत सरकार के समक्ष संशोधन हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसमें मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:–

- वार्षिक कार्ययोजना बनाए जाने हेतु अत्यधिक रूप से विस्तृत जानकारी चाही गई है जिसके अनुसार कार्ययोजना तैयार करने में अत्यधिक समय लगेगा साथ ही यह व्यवहारिक प्रतीत नहीं होता है। अर्थात इसे सरलीकृत किए जाने की आवश्यकता है।
- एन0पी0वी0 के अंतर्गत वार्षिक कार्ययोजना के 80% की धनराशि के उपयोगार्थ उल्लिखित सूची में उत्तराखण्ड के परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों को सम्मिलित नहीं किया गया है जिनमें से निम्न मुख्य हैं:
  - मृदा एवं जल संरक्षण संबंधी गतिविधियां
  - संवेदनशील ढलानों का उपचार
  - मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम
  - वन एवं वन्यजीव अनुसंधान

- पारिस्थिकीय पर्यटन संबंधी गतिविधियां।

▶ Draft Rules में एक ओर नियम 4 B में कैम्पा निधि के अर्जित ब्याज की 30% धनराशि का उपयोग राज्य कैम्पा के प्रबंधन हेतु व्यय किए जाने का उल्लेख किया गया है वहीं दूसरी ओर अध्याय II 1(h) में पदेन सदस्यों एवं राज्य/राष्ट्रीय कैम्पा में कार्यरत कार्मिकों के वेतन भत्ते उनके पैतृक विभाग से दिए जाने का उल्लेख किया गया है। जबकि CAF Act 2016 के अनुभाग 6(f) अनुसार राज्य कैम्पा के आवर्ती एवं अनावर्ती व्यय (कार्यरत कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों को सम्मिलित करते हुए) कैम्पा निधि के अर्जित ब्याज की धनराशि से किए जाऐंगे का उल्लेख किया गया है। अर्थात उक्त नियम CAF Act का विरोधाभासी हैं।

- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा शासी निकाय के संज्ञान में यह भी लाया गया कि एन0पी0वी0 के अंतर्गत <u>प्रतिबंधित गतिविधियों</u> की सूची में **वेतन, यात्रा भत्ता एवं चिकित्सा व्यय, विदेश यात्रा, वाहनों का क्रय, आवासीय एवं कार्यालय भवनों का निर्माण, ए0सी0, फर्नीचर, कंप्यूटर, एवं अन्य कार्यालय संबंधी fixtures का क्रय, राजस्व प्राप्ति के उद्देश्य से प्राकृतिक वनों के कटान से खाली हुई भूमि पर वाणिज्यिक उपयोगार्थ अनिवार्य वृक्षारोपण एवं चिड़ियाघर की स्थापना, विस्तार एवं सुदृढ़िकरण सम्मिलित किया गया है।** सदस्यगणों द्वारा उक्त कुछ प्रतिबन्धित गतिविधियों एवं Draft Rules, 2017 के प्राविधानों में उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत संशोधन किए जाने की आवश्यकता जताई गई।

Draft Rules, 2017 पर विचार विमर्श उपरांत शासी निकाय द्वारा निर्णय लिया गया कि उक्त उल्लिखित नियमों में प्रदेश की विषम भौगोलिक परिस्थितियों तथा प्राकृतिक आपदाओं व अन्य आकस्मिक/अपरिहार्य परिस्थितियों को देखते हुए इसमें आवश्यक संशोधन/पुनर्विचार हेतु मा0 मुख्यमंत्रीजी/अध्यक्ष, शासी निकाय के स्तर से भारत सरकार को पत्र प्रेषित किया जाए।

(कार्यवाहीः उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति एवं कार्यकारी समिति)

<u>बिन्दु संख्या</u> **–3.3 उत्तराखण्ड कैम्पा के पंजीकरण के समय उत्तराखण्ड कैम्पा की शासकीय समिति (Governing Body) की परिचालन के माध्यम से आयोजित द्वितीय बैठक का अनुपालनः–**

सदस्यगणों द्वारा शासी निकाय की प्रथम बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई एवं परिचालन के माध्यम से आयोजित द्वितीय बैठक में लिए गये निर्णयों का अनुमोदन प्रदान किया गया। अध्यक्ष–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा निर्देश दिये गये कि शासी निकाय की बैठक निर्धारित समयावधि में अवश्य आयोजित की जाय।

कार्यसूची शासकीय समिति–3.4 उत्तराखण्ड कैम्पा के सुचारू संचालन एवं कार्यो में पारदर्शिता बनाए रखने हेतु अपनाई जा रही कार्यप्रणाली का विवरणः

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा सदस्यगणों को उत्तराखण्ड कैम्पा निधि के उपयोग एवं कैम्पा के संचालन में अपनाई जा रही कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में अवगत कराया गया कि :–

- कैम्पा निधि के सुचारू संचालन के उद्देश्य से उत्तराखण्ड कैम्पा में केन्द्रीयकृत बैंकिंग प्रणाली लागू की गई है जिसके अंतर्गत राज्य कैम्पा का मदर एकाउंट, समस्त कियान्वयन अभिकरणों के चाइल्ड एकाउंट एवं उनके अधीनस्थ रेंजों के ग्रैण्ड चाइल्ड एकाउंट खोले गए हैं।
- कैम्पा निधि के सूचना तंत्र को प्रभावी बनाने एवं कार्यो की जानकारी वन विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यरत इकाईयों द्वारा किए गए कार्यों की online प्रविष्टि किए जाने हेतु Management Information System (MIS) तथा आम जनता को कैम्पा संबंधी सूचनाएं सुलभ कराने के उद्देश्य से Website (http://www.ukcampa.org.in) संचालित हैं।
- ऑनलाईन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के उददेश्य से कैम्पा के समस्त स्थल विशिष्ट कार्यों की भारत सरकार द्वारा संचालित ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर ऑनलाइन प्रविष्टि अनिवार्य है। इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि वर्तमान में कैम्पा के 8719 पॉलीगन्स में से लगभग 3210 पॉलीगन्स सही पाए गये हैं। शेष पॉलीगन्स की त्रुटिरहित प्रविष्टि करने एवं समय–समय पर ई–ग्रीन वॉच की अद्यतन उपलब्धि प्राप्त किए जाने के दृष्टिगत उत्तराखण्ड कैम्पा कार्यालय के अन्तर्गत ही ई–ग्रीन वॉच सैल की स्थापना की गई है।
- उत्तराखण्ड कैम्पा के कार्यो के लेखा रखरखाव हेतु Double Entry System को Tally ERP9 Accounting Software के माध्यम से लागू किया गया है। मा0 वित्त मंत्री, उत्तराखण्ड द्वारा कैम्पा के लेखों के ऑडिट के संबंध में पूछे जाने पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि उत्तराखण्ड कैम्पा की अधिसूचना में कैम्पा के लेखों का ऑडिट एवं लेखा सत्यापन (बैलेंस शीट इत्यादि) कार्य महालेखाकार (लेखा परीक्षा) उत्तराखण्ड द्वारा किये जाने का प्राविधान है। साथ ही अवगत कराया गया कि वन प्रभागों / कियान्वयन अभिकरणों द्वारा कैम्पा निधि के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों का उनके स्तर पर विधिवत नियमित रूप से महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड द्वारा संप्रेक्षा का कार्य संपादित किया जा रहा है।

- उत्तराखण्ड कैम्पा में Third Party Monitoring & Evaluation की स्वतंत्र प्रणाली विकसित की गई है जिसके अंतर्गत संचालन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के कम में कैम्पा कार्यों के तृतीय पक्ष अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के माध्यम से कराया जा रहा है। मा0 वित्त मंत्री जी द्वारा कैम्पा निधि के अंतर्गत कराए गए/कराए जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में अपेक्षा की गई कि कैम्पा के कार्यों का अनुश्रवण एवं मूल्यांकन पर विशेष बल दिया जाए। इस सम्बन्ध में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा अवगत कराया गया कि कैम्पा के कार्यों कें प्रथम स्तर का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्य एम0आई0एस0 के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न क्रियान्वयन अभिकरणों द्वारा उनको मदवार अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्राप्त वित्तीय प्रगति की मदवार प्रगति प्राप्त होती है।

  कैम्पा के अंतर्गत सम्पादित किए जा रहे कार्यों के द्वितीय चरण का भौतिक एवं वित्तीय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्य वन विभाग के अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं ऑडिट सैल द्वारा किया जाता है।

  तृतीय चरण के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन का कार्य तृतीय पक्ष (वन अनुसन्धान संस्थान, भारत सरकार) द्वारा कराया जा रहा है।

  भारत सरकार द्वारा संचालित ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर समस्त धरातलीय कार्यों का सैटेलाइट एवं ऑनलाइन अनुश्रवण व मूल्यांकन का कार्य उत्तराखण्ड कैम्पा में स्थापित ई–ग्रीन वॉच सेल के माध्यम से किया जा रहा है। उपरोक्त पर अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगणों द्वारा सन्तोष व्यक्त किया गया।

<u>बिन्दु संख्या</u> –3.5 कैम्पा के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भविष्य की रणनीति बनाए जाने हेतु माननीय सदस्यों का मार्गदर्शन।

शासी निकाय द्वारा CAF Act 2016 एवं CAF Rules 2017 के प्राविधानों तथा उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में कैम्पा के अंतर्गत तैयार की जाने वाली कार्ययोजनाओं में निम्नलिखित को प्राथमिकता के साथ सम्मिलित किए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया।

- **क्षतिपूरक वृक्षारोपणः** क्षतिपूरक वनीकरण का कार्य, कैम्पा की मुख्य गतिविधि है जिसके लक्ष्यों को प्राथमिकता से पूर्ण किया जाना है। शासी निकाय द्वारा इस पर विशेष ध्यान देते हुए गाइडलाइन का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए गुणवत्ता के साथ लक्ष्यों को समयांतर्गत पूर्ण किए जाने के संबंध में निर्देश दिए गए।
- **जल संचय संबंधी कार्यः** क्षतिपूरक वनीकरण के अतिरिक्त, उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति एवं वर्षा जल संग्रहण की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए

जल संचय संबंधी कार्यों (जलकुण्ड, कंटूर ट्रेन्च, चेक डैम निर्माण, जल स्रोतों का पुनरोद्धार आदि) को यथासंभव प्राथमिकता देते हुए, वार्षिक कार्ययोजनाओं में सम्मिलित किया जाए एवं तद्नुसार गुणवत्तायुक्त कार्य संपादित कराए जाएं।

- **नदियों का पुनरोद्धारः** अध्यक्ष–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा उक्त जल संचय संबंधी गतिविधियों को संपादित किए जाने के अतिरिक्त, उत्तराखण्ड कैम्पा के अंतर्गत, राज्य में जल संचय हेतु वन क्षेत्रों एवं नदियों के किनारे कन्टूर ट्रेन्चेज का निर्माण कार्य कराए जाने पर भी बल दिया गया।

  अध्यक्ष–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा यह भी निर्देश दिये गये कि माह जुलाई, 2017 में हरेला दिवस के अवसर पर अभियान के तौर पर पूरे प्रदेश में जन सहभागिता के साथ वृक्षारोपण किया जाय जिसमें मा0 वित्त मंत्री द्वारा सुझाव दिया गया कि प्रत्येक जिले के अंतर्गत एक नदी को पुनर्जीवित किये जाने के उद्देश्य से चिन्हित कर उसके कैचमैन्ट क्षेत्र में वृक्षारोपण, कन्टूर ट्रैन्चों का निर्माण तथा वर्षाजल संरक्षण से सम्बन्धित अन्य कार्य किये जाय तथा वृक्षारोपण में इस प्रकार के पौध रोपित किये जायं जिससे भूमिगत जल स्तर में सुधार हो।

- **वन संरक्षण को बढ़ावाः** लोक परंपराओं (जैसे वन महोत्सव, हरेला आदि) प्रकृति से जुड़े विभिन्न पर्वों के अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों, स्कूलों, एवं अन्य स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से वन एवं वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा दिए जाने के दृष्टिगत वृक्षारोपण आयोजित किए जाएं। इस क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा इस वर्ष भी हरेला इत्यादि पर्वों पर विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं को साथ में लेते हुए जन सहभागिता के साथ इसे विशेष अभियान के रूप में आयोजित किए जाने हेतु निर्देश दिए गए।

- **कठोर वित्तीय अनुाासन/स्वीकृत मानकों के अनुरूप ही कार्यः** मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा सदस्यों को अवगत कराया गया कि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के कुछ बिन्दुओं/मदों के संबंध में समय समय पर आपत्ति की गई है। मा0 अध्यक्ष महोदय एवं सदस्यगणों द्वारा कैम्पा की अधिसूचना एवं CAF Act, 2016 में उल्लिखित प्राविधानों के तहत् ही कार्ययोजनाएं तैयार की जाने एवं कठोर वित्तीय अनुशासन व स्वीकृत मानकों के अनुरूप ही कार्य संपादित कराए जाने के निर्देश दिए गए।

- **बिना वित्तीय उपलब्धता के कैम्पा के पक्ष में कोई देयता नहीं:** क्षतिपूरक वनीकरण निधि (CAF) अधिनियम, 2016 के नये प्राविधानों के अनुसार राज्य कैम्पा की वार्षिक कार्ययोजना को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाना है। उपरोक्त के दृष्टिगत, मा0 वित्त मंत्रीजी द्वारा CAF Act 2016 में उल्लिखित प्राविधानों का कठोरता से अनुपालन सुनिचित किए जाने के निर्देश दिए गए। अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना के इतर कोई कार्य संपादित न कराए जाएं एवं बिना स्वीकृति के कराए गए कार्यों हेतु उत्तराखण्ड कैम्पा की कोई देयता नहीं होगी।

बिन्दु संख्या –3.6 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से विचार–विमर्श हेतु अन्य कोई बिन्दु।

माननीय सदस्यों द्वारा इस बात पर विशेष बल दिया गया कि कैम्पा योजना के अंतर्गत निर्धारित नियमों का अनुपालन कठोरता से किया जाए तथा विस्तृत परीक्षणोंपरांत वे ही कार्य किए जाएं जो कैम्पा के दिशा निर्देशों के अनुरूप हों। इसके अंतर्गत वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करते हुए कार्यों को मानकों के अनुसार संपादित कराया जाए तथा इसकी विभिन्न स्तरों पर नियमित मॉनिटरिंग भी की जाए।

बैठक में एन0पी0वी0 के अंतर्गत वन पंचायतों में गत वर्षों में कराए गए कार्यों पर भी चर्चा की गई जिसमें विचार विमर्श उपरांत अध्यक्ष, शासी निकाय द्वारा गत 03 वर्षों में वन पंचायतों के अंतर्गत कराए गए कार्यों में से किन्हीं 50 वन पंचायतों के कार्यों की समीक्षा किए जाने एवं इसकी रिपोर्ट शासी निकाय के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए गए।

अंत में मा0 मुख्य मंत्रीजी एवं अध्यक्ष, शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा द्वारा समस्त सदस्यों का धन्यवाद करते हुए बैठक का समापन किया गया।

(कार्यवाहीः उत्तराखण्ड कैम्पा की संचालन समिति एवं कार्यकारी समिति)

अनुमोदित

(समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक/
मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं
सदस्य सचिव, शासी निकाय,
उत्तराखण्ड कैम्पा

(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन

उत्तराखण्ड प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबन्धन एवं नियोजन प्राधिकरण
(उत्तराखण्ड कैम्पा)

वन मुख्यालय, 85 राजपुर रोड़, देहरादून, दूरभाष/फैक्स : 0135–2744077 ई–मेल: ceocampa-forest-uk@nic.in
Website : www.ukcampa.org.in

पत्रांक– 313 /13–2(3)/2017–18 दिनांक, देहरादून, 18 अगस्त, 2017

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, मा॰ मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड को मा॰ मुख्यमंत्री जी एवं अध्यक्ष–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मा॰ वन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा॰ वन मंत्री जी एवं उपाध्यक्ष–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मा॰ वित्तमंत्री, उत्तराखण्ड को मा॰ वित्त मंत्री जी एवं सदस्य–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।
4. निजी सचिव, मा॰ नियोजन मंत्री, उत्तराखण्ड को मा॰ नियोजन मंत्री जी एवं सदस्य–शासी निकाय, उत्तराखण्ड कैम्पा के अवलोकनार्थ।

(समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांकः– 313 (1)/13–2(3)/2017–18 दिनांकित।

प्रतिलिपि :–

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन एवं उपाध्यक्ष–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव–नियोजन, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव–वित्त, उत्तराखण्ड शासन एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
5. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा, देहरादून।
6. प्रमुख वन संरक्षक, वन पंचायत, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
7. मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
8. अपर प्रमुख वन संरक्षक, केन्द्रीय, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय–देहरादून।
9. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
10. अपर प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड एवं सदस्य–संचालन समिति, उत्तराखण्ड कैम्पा।
11. प्रभारी सचिव, वन एवं पर्यावरण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
12. अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

(समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड कैम्पा

पत्रांकः– 313 (2)/13–2(3)/2017–18 दिनांकित।

प्रतिलिपि :–

1. वन महानिरीक्षक, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी–एड हॉक कैम्पा, भारत सरकार, इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली।
2. प्रमुख वन संरक्षक, परियोजनाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
4. समस्त मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड ।
5. निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
6. समस्त वन संरक्षक/निदेशक, उत्तराखण्ड।
7. वित्त नियंत्रक, वनविभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. समस्त प्रभागीय वनाधिकारी/उपनिदेशक/वन वर्धनिक, उत्तराखण्ड।

(समीर सिन्हा)
अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी/सदस्य सचिव,
उत्तराखण्ड कैम्पा